सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. BR/1/2017/STGJH/SEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्कट नई दिल्ली.110003
दिनांक **11.04.2018**

सेवा में,

1. सचिव,
जल संसाधन तथा पेयजल एंव स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड सरकार,
राँची (झारखण्ड)

2. जिला कलेक्टर,
जिला रामगढ़
(झारखण्ड)

3. पुलिस अधिक्षक,
जिला रामगढ़
(झारखड़) 829103

विषयः सुषमा कुमारी को अकेले देखकर श्री जितेन्द्र कुमार झा द्वारा जबरदस्ती बलात्कार के प्रयास में न्याय दिलाने के संबंध में– श्री बैजनाथ राम, उपाध्यक्ष, पो–भुरकुन्डा बाजार, जिला रामगढ़ (झारखंड) प्राप्त से दिनांक 03.07.2017 का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सुश्री अनुसूईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्वाधान में हुई बैठक दिनांक 03.04.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट का प्रतिवेदन की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही हैं।

अनुरोध है कि प्रकरण मे अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को एक माह के भीतर भिजवाने का कष्ट करे !

भवदीय

(आर. के. दुबे)
सहायक निर्देशक
दूरभाष–24615012

प्रतिलिपिः

श्री बैजनाथ राम,
उपाध्यक्ष, पो–भुरकुन्डा बाजार,
जिला रामगढ़ (झारखड़)

SAS, NIC

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- BR/1/2017/SGJH/ATRAPE/RU-III)

श्रीमती सुषमा कुमारी के साथ यौन शोषण और बलात्कार के प्रयास करने के मामले मे श्री बैजनाथ राम, भुरकुंडा बाजार, रामगढ़, झारखंड से प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि	:	03.04.2018
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री बैजनाथ राम, भुरकुंडा बाजार, रामगढ़, झारखंड ने दिनांक 18.07.2017 को एक अभ्यावेदन देकर श्रीमती सुषमा कुमारी के साथ यौन शोषण और बलात्कार के प्रयास करने के मामले मे न्याय दिलाने का निवेदन किया था।

2. अभ्यावेदन मे बताया गया है कि, आदिवासी महिला श्रीमती सुषमा कुमारी, पिता श्री जयकृष्ण लाल, निवासी- सी.सी.एल. कॉलोनी, बरकाखाना, जिला- रामगढ़, झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रामगढ़ मे प्रखण्ड समन्वयक पद पर कार्यरत है। संबन्धित विभाग होने के कारण जिला कार्यालय रामगढ़ मे उनका आना जाना लगा रहता है। दिनांक 02.05.2017 को समय प्रातः लगभग 10 बजे वे जिला कार्यालय गई थी। उस समय तक कोई कर्मचारी व अधिकारी कार्यालय नही पहुंचा था। श्रीमती सुषमा कुमारी कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगी। उस समय सिर्फ जिला समन्वयक श्री जितेंद्र कुमार झा वहाँ पर बैठे हुये थे। अकेली महिला देख कर श्री जितेंद्र झा अचानक पीछे से आकर श्रीमती सुषमा कुमारी को पकड़ कर असामान्य व्यवहार करते हुये शारीरिक छेडछाड़ करने लगे तथा जमीन पर पटककर बलात्कार का प्रयास करने लगे। किसी तरह श्रीमती सुषमा कुमारी धक्का देकर वहाँ से भाग गई। अभ्यावेदाक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

के अनुसार इस संबंध मे महिला थाना से लेकर डी.जी.पी. यहाँ तक कि जल संसाधन मंत्री व जिला उपायुक्त तक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई किन्तु आदिवासी बहुल झारखंड प्रदेश मे एक आदिवासी महिला को न्याय न देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। चूंकि आरोपी श्री झा के उच्च जाति का होने के कारण पीड़िता जितने भी पदाधिकारीयों के पास न्याय का निवेदन करने के लिए गई सभी समजाति होने के कारण श्री झा को ही बचाने का प्रयास किया। अपने अभ्यावेदन के माध्यम से अभ्यावेदक ने आयोग से न्याय दिलाने का निवेदन किया।

3. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात सचिव, जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार तथा पुलिस अधीक्षक, रामगढ़, झारखंड को दिनांक 20.07.2017 को एक नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा।

4. आयोग को सचिव, जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार तथा पुलिस अधीक्षक, रामगढ़, झारखंड द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इसके पश्चात दिनांक 31.10.2017 को एक स्मरण पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई। इसका भी जवाब प्राप्त नही हुआ।

5. अभ्यावेदक ने दिनाक 12.03.2018 को पुनः एक पत्र देकर आयोग से न्याय का निवेदन किया। आयोग ने इस पर दिनांक 13.03.2018 को एक सीटिंग नोटिस जारी कर सचिव, जल संसाधन तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार तथा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, रामगढ़, झारखंड को दिनांक 03.04.2018 को आयोग मे चर्चा के लिए बुलाया।

6. दिनांक 05.02.2018 को आयोग मे चर्चा के लिए उप पुलिस अधीक्षक, जिला-रामगढ़, झारखंड तथा कार्यपालक अभियंता, जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रामगढ़, झारखंड उपस्थित हुये।

7. आयोग ने अभ्यावेदक से मामले मे अपना पक्ष रखने को कहा, इस पर पीड़िता ने आयोग को अवगत कराया कि वह दिनांक 02.05.2017 समय लगभग 10 बजे प्रातः जिला कार्यालय गई थी। उस समय तक कोई कर्मचारी व अधिकारी कार्यालय नही पहुंचा था। वे कार्यालय की कुर्सी पर बैठकर इंतजार करने लगी। उस समय सिर्फ जिला समन्यवयक श्री जितेंद्र कुमार झा वहाँ पर बैठे हुये थे। उन्हे अकेला देख कर श्री जितेंद्र झा अचानक पीछे से आकार श्रीमती सुषमा कुमारी को पकड़ कर असामान्य व्यवहार करते हुये शारीरिक छेडछाड़ करने लगे तथा जमीन पर पटककर बालात्कार का प्रयास करने लगे। किसी तरह वे धक्का देकर वहाँ से भाग गई। इसकी शिकायत महिला थाना मे जब करने गई तब वहाँ की एसएचओ ने उन्हे पुलिस अधीक्षक के पास जाने को कहा। वे पुलिस अधीक्षक के पास गई तथा अपना मेडिकल परीक्षण भी स्वयं कराया। पीड़िता ने

Anuiy

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग को यह भी बताया कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके प्रभाव से सभी जांच पीड़िता के विरुद्ध बताई जा रही हैं। उन्होने आयोग के संज्ञान मे यह बात भी लाई कि उनके साथ जो लोग एफ़आईआर और मेडिकल जांच कराने गए थे पुलिस ने उनका बयान भी नही लिया है और किसी तरह मामले को दबाने की साजिश की गई है।

8. आयोग ने जानना चाहा कि मामले मे पुलिस प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है। उप पुलिस अधीक्षक, जिला- रामगढ़, झारखंड ने आयोग को अवगत कराया कि मामले मे कार्यवाही करते हुये अभ्यावेदक की शिकायत पर दिनांक 02.05.2017 को एफ़आईआर दर्ज की गई थी। मामले मे श्रीमती निधि द्विवेदी, तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक, सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा पर्यवेक्षण किया गया था। उप पुलिस अधीक्षक, जिला- रामगढ़ ने आगे बताया कि अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम मे घटनास्थल पर उपस्थित साक्षियों के बयान लिए गए। अपने बयान मे सभी साक्षियों ने पीड़िता के आरोपों को असत्य बताया। इस कारण इस प्राथमिकी को असत्य समर्पित कर दिया गया।

9. आयोग ने कार्यपालक अभियंता, जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रामगढ़, झारखंड से जानना चाहा कि इस मामले मे विभाग ने क्या कार्यवाही की? कार्यपालक अभियंता ने आयोग को अवगत कराया कि इस मामले मे अपर समाहर्ता सह निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ की अध्यक्षता मे चार सदस्यीय समिति गठित कर जांच की गई। जांच समिति मे कार्यपालक दंडाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ सदस्य बनाए गए थे। जांच के क्रम मे दोनों पक्षों के बयान लिए गए और दोनों के बयान मे काफी अंतर था। जांच समिति ने अपने जांच प्रतिवेदन मे बताया कि श्रीमती सुषमा कुमारी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है।

10. आयोग ने सभी पक्षों को सुनने तथा तथ्यों / रिपोर्टों और बयानों को देखने के पश्चात पाया कि पुलिस द्वारा की गई जांच त्रुटिपूर्ण है। पीड़िता के साथ जो लोग एफ़आईआर और मेडिकल जांच कराने गए थे पुलिस ने उनका बयान भी नही लिया है। साथ ही पुलिस जांच के दौरान आरोपी का तबादला विभाग द्वारा नही किया गया ऐसी स्थिति मे संदेह है कि वे विभाग मे अपने प्रभाव का प्रयोग कर जांच प्रभावित करने मे सक्षम थे। आयोग ने यह भी पाया कि अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण नियम के तहत एफ़आईआर दर्ज होने के बाद भी पीड़िता को आर्थिक सहायता नही दी गई। अतः इस प्रकरण मे आयोग निम्नलिखित संस्तुतियाँ करता है-

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(i) पुलिस विभाग इस प्रकरण मे कोर्ट मे समर्पित केस को वापस ले तथा इसकी दुबारा निष्पक्ष जांच करे और पीड़िता के साथ जो लोग एफ़आईआर और मेडिकल जांच कराने गए थे उनका बयान भी लिया जाय।

(ii) पीड़िता श्रीमती सुषमा कुमारी को तत्काल निर्धारित आर्थिक सहायता दिलाने के लिए संबन्धित अधिकारी कार्यवाही करें।

(iii) जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रामगढ़ आरोपी का तत्काल तबादला या संविदा समाप्त करे।

(iv) जिला प्रशासन पीड़िता श्रीमती सुषमा कुमारी की सुरक्षा सुनिश्चित करे क्योंकि उनको आरोपी पक्ष से धमकी प्राप्त हो रही है।

इस संबंध मे संबन्धित विभाग, जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग कार्रवाई कर प्रगति रिपोर्ट दो सप्ताह के अंदर आयोग को भिजवाई जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- BR/1/2017/SGJH/ATRAPE/RU-III)

श्रीमती सुषमा कुमारी के साथ यौन शोषण और बलात्कार के प्रयास करने के मामले मे श्री बैजनाथ राम, भुरकुंडा बाजार, रामगढ़, झारखंड से प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुइया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री आर. के. दुबे, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डी. सी. कटोच, परामर्शक

झारखंड राज्य सरकार के अधिकारी

1. श्री वी. के. चौधरी, उप पुलिस अधीक्षक, रामगढ़
2. श्री त्रिभुवन बैठा, कार्यपालक अभियंता, जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रामगढ़

अभ्यावेदक

1. श्री बैजनाथ राम
2. श्रीमती सुषमा कुमारी